सराहनीय कार्य

कानपुर देहात पुलिस

#CRACKDOWN **प्रेस नोट** **दिनांक 27.05.2026**

महिला से झपटमारी कर कान के बाले छीन ले जाने की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्त के कब्जे से महिला से छीना गया 01 अदद पीली धातु का बाला व 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक अदद बिना नम्बर की पल्सर मो0सा0 बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में कानपुर देहात के थाना शिवली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी/लूट/छिनैती की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात के मार्गदर्शन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय रसूलाबाद के पर्यवेक्षण में, दिनांक 24.05.2026 को थाना शिवली क्षेत्र के ग्राम हरदियानाला में गांव के बाहर उपले पाथ रही महिला से रामजानकी मन्दिर का पता पूछते हुए उसके कान के बाले दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा छीन कर ले जाने के सम्बन्ध में पीडित महिला के पुत्र श्री आशीष पुत्र राकेश निवासी ग्राम हरदियानाला थाना शिवली जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना शिवली पर मु0अ0सं0 186/2026 धारा 304(2) बीएनएस बनाम मोटर साइकिल सवार दो व्यक्ति नाम-पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त इस्माइल पुत्र हसन खां निवासी ग्राम जल्लापुर सिकंदरा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 32 वर्ष को घटना में प्रयुक्त मो0सा0 अपाचे रंग सफेद नम्बर UP 77AH 8286 के साथ दिनांक 26.05.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दूसरा वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र अतर सिंह निवासी ब्रह्मनगर कंजड डेरा कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 27/05/2026 को वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय से टीमें तलाश कर रही थी। चेकिंग एवं रात्रि गस्त के दौरान ग्राम केशरी निवादा से ग्राम

रामपुर जाने वाले मार्ग पर अभियुक्त राहुल पुत्र अतर सिंह निवासी ब्रह्मनगर कंजड डेरा कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 30 वर्ष अपनी पल्सर मोटर साइकिल से ग्राम रामपुर से ग्राम केशरी निवादा जाने वाले मार्ग पर आता हुआ दिखायी दिया जिसको टॉर्च दिखाकर रोकने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा पुलिस टीम को देखते ही मोटर साइकिल को पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया जाने लगा जिससे जल्दबाजी में मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी और वह व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा जिसको रुकने हेतु कहा गया किन्तु वह भागने लगा। पुनः पुलिस टीम द्वारा चेतावनी देते हुये रुकने हेतु कहा गया तो अभियुक्त ने अपने आप को घिरता देखकर तमंचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दी गयी जिससे पुसिस टीम बाल बाल बची। आत्मरक्षा में पुलिस टीम की फायरिंग से अभियुक्त के पैर मे गोली लगी है। अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर , एक अदद पीली धातु का बाला तथा एक अदद मोटर साइकिल पल्सर बिना नंबर रंग काला बरामद हुए। घायल अभियुक्त को नियमानुसार कार्यवाही करते हुये पुलिस हिरासत में लेकर प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी शिवली भेजा गया। फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद होने एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना शिवली पर मु0अ0सं0 187/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. राहुल पुत्र अतर सिंह निवासी ब्रह्मनगर कंजड डेरा कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 30 वर्ष।

अभियुक्त राहुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 187/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शिवली का0दे0
2. मु0अ0सं0 186/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 360/2022 धारा 13 जी एक्ट थाना अकबरपुर कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 229/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर कानपुर देहात
5. मु0अ0सं0 322/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर कानपुर देहात
6. मु0अ0सं0 92/2024 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर कानपुर देहात
7. मु0अ0सं0 159/2024 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर कानपुर देहात
8. मु0अ0सं0 119/19 धारा 147/323/352/504 भा0द0वि0 थाना राजपुर कानपुर देहात
9. मु0अ0सं0 381/23 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 थाना रूरा कानपुर देहात
10. मु0अ0सं0 419/23 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 थाना रूरा कानपुर देहात
11. मु0अ0सं0 93/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रूरा कानपुर देहात

12. मु0अ0सं0 75/2023 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा कानपुर देहात
13. मु0अ0सं0 120/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा
14. मु0अ0सं0 688/2018 धारा 379/411/420 भा0द0वि0 थाना घाटमपुर कानपुर नगर
15. मु0अ0सं0 702/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना घाटमपुर कानपुर नगर
16. मु0अ0सं0 63/2021 धारा 363/376/506 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना शिवराजपुर कानपुर नगर
17. मु0अ0सं0 245/2022 धारा 401 भा0द0वि0 थाना साढ़ जनपद कानपुर नगर
18. मु0अ0सं0 346/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना साढ़ जनपद कानपुर देहात
19. मु0अ0सं0 261/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
20. मु0अ0सं0 156/2020 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. एक पीली धातु का बाला सम्बन्धित मु0अ0सं0 186/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस
3. एक अदद मोटर साइकिल पल्सर बिना नंबर रंग काला।

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना शिवली पुलिस-

1. प्र0नि0 श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
2. उ0नि0 श्री शिवेन्द्र कुमार वर्मा
3. उ0नि0 श्री अजय कुमार
4. हे0का0 229 मोहित यादव
5. हे0का0 562 जय कृष्ण
6. का0 1057 अंकुर अहलावत
7. का0 945 अभिषेक कुमार
8. का0 180 रवी कुमार
9. का0 185 नरेन्द्र सिंह
10. का0 628 गौरव कुमार